(3) इस मामले पर करम सिंह बनाम सरदार सिंह और अन्य (3) में लाहौर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। वादी ने न्यायालय से अनुरोध करते हुए अपना पहला मुकदमा वापस ले लिया कि उसका मुकदमा फिलहाल दायर किया जाए। इस्तेमाल किए गए सटीक शब्द थे "फ़िलहाल दख़िल दफ़्तर हो" इसके बाद, कार्रवाई के उसी कारण पर नया मुकदमा दायर किया गया और यह माना गया कि उसी विषय वस्तु के लिए एक नया मुकदमा चलने योग्य नहीं था क्योंकि मुकदमा वापस लेते समय वादी द्वारा नया मुकदमा लाने की कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी और स्पष्ट रूप से कोई अनुमति नहीं दी गई थी। यहाँ तक कि न्यायालय द्वारा भी अप्रत्यक्ष रूप से अनुमति दे दी गई थी। उपरोक्त निर्णय पूरी तरह से मामले को कवर करता है। प्रतिवादी के वकील ने कीसारी संतम्मा बनाम कनुमाथा रेड्डी वेंकटरामा रेड्डी और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया (4) इस निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि वह विभाजन का मामला था जिसमें प्रत्येक पक्ष को वादी के रूप में माना जा सकता है और संयुक्त संपत्ति के विभाजन के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। ट्रायल कोर्ट का यह दृष्टिकोण कि मुकदमा चलने योग्य है, सही नहीं है। कार्रवाई के उसी कारण पर नया मुकदमा दायर करने की अनुमति प्राप्त किए बिना पहला मुकदमा खारिज कर दिया गया है, जो उसे कार्रवाई के उसी कारण पर अगला मुकदमा दायर करने से रोकता है। इस मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष उलट है।

(4) ऊपर दर्ज कारणों से, इस पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी जाती है। विवादित आदेश निरस्त किया जाता है। यह माना गया कि मुकदमा चलने योग्य नहीं है और खारिज किया जाता है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति ए. एल. बाहरी और न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल के समक्ष

भविष्य निधि निरीक्षक, चंडीगढ़,-अपीलकर्ता।

बनाम

एम/एस सूरज भान दिनेश कुमार कॉटन फैक्ट्री और अन्य।-प्रतिवादी।

आपराधिक अपील. 1982 की संख्या 436-डीबीए।

27 मार्च, 1991.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 249, 256 - कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 - धारा 14-ए - शिकायत पर आरोपी को बुलाया गया - शिकायत का आधार रखने और उसकी दलील दर्ज करने के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया - व्यक्तिगत उपस्थिति शिकायतकर्ता जरूरी नहीं- अभियुक्त बरी किए जाने का हकदार नहीं है- शिकायतकर्ता के उपस्थित न होने पर शिकायत ख़ारिज होने योग्य नहीं है

माना गया कि जिस तारीख को मामला तय किया गया था जब आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया गया था, मजिस्ट्रेट को उस प्रश्न पर आदेश की घोषणा करनी थी जिस पर स्थगित तिथि पर दलीलें सुनी गई थीं, यानी शिकायत का सार होना आवश्यक था। अभियुक्त को यह जानने के लिए रखें कि क्या वह आरोपों को स्वीकार करने जा रहा है या संहिता की धारा 251 के तहत अपेक्षित मुकदमे का दावा करेगा। ऐसी कार्यवाहियों के लिए, स्पष्ट रूप से, शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं थी और मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति के आधार पर आरोपी को रिहा करने से पहले मामले के चरण पर ध्यान देना चाहिए था।

(पैरा 5)

श्री लखबीर सिंह पीसीएस, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी सुनाम की अदालत के 18 जनवरी, 1992 के आदेश के खिलाफ अपील, जिसमें आरोपी को आरोपमुक्त और बर्खास्त किया गया था।

26 मई 1981 की शिकायत संख्या 94

धारा 14 (ए) और 14 (1-4) के तहत कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत आरोप।
निर्णयः बरी कर दिया गया।

अपीलकर्ताओं के लिए सी. डी. दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता और ए. के. कंवर अधिवक्ता।
प्रतिवादियों की ओर से एच. आर. बंसल, वकील।

निर्णय

ए.एल. बहरी, न्यायमूर्ति (मौखिक)

1. इस आदेश के तहत नौ आपराधिक अपीलों (आपराधिक अपील संख्या 436-डीबीए से 1982 की 444-डीबीए) का निपटारा किया जा रहा है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14-ए के तहत दायर शिकायतों को खारिज कर दिया गया था। 18 जनवरी 1982 को जब शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं हुआ लेकिन शिकायतकर्ता का वकील उपस्थित था। 1982 की आपराधिक अपील संख्या 436-डीबीए, 438-डीबीए और 439-डीबीए में दो आरोपी थेः सूरज भान और मेघ नाथ, उनमें से सूरज भान की मृत्यु हो गई बताई गई है। हालाँकि, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सह-अभियुक्त मेघ नाथ के खिलाफ शिकायत अभी भी आगे बढ़ सकती है अगर अपील की अनुमति दी जाती है।

2. हालांकि आरोपित आदेश में यह कहा गया है कि अभियुक्त को तकरीरकर्ता की अनुपस्थिति के कारण शिकायत खारिज की गई है, वास्तव में इसे दण्ड संरचना के धारा 256 के तहत स्वीकृति के समान ही माना जाएगा, जो कि अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के लिए लागू है (संक्षेप में 'कोड' कहा जाता है)। यह प्रावधान जल्दी अदालत द्वारा शपथ पत्र के तर्कात्मक मामलों के लिए लागू होता है और इसलिए यह अपीलीय होंगी।

3. चूंकि वर्तमान शिकायतें उन अपराधों के कमीशन से संबंधित हैं जिनके लिए सजा छह महीने है, संहिता का अध्याय XX लागू होगा जो मजिस्ट्रेट द्वारा समन मामलों की सुनवाई पर लागू होता है। बहस के दौरान अध्याय XIX में संहिता की धारा 249 का संदर्भ दिया गया, जो मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई पर लागू होती है। धारा 249 में आरोप तय होने से पहले शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में आरोपी को आरोप मुक्त करने का प्रावधान है। चूँकि आक्षेपित आदेश में कहा गया था कि अभियुक्त को बरी कर दिया गया है, यह तर्क दिया गया था कि संहिता की धारा 249 लागू होगी और इस विवाद के समर्थन में **दौलत राम बनाम राम किशन और अन्य, 1958 सीआरएल एल.जे. 1096** में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। इससे निपटे गए मामले के तथ्यों पर गौर करने पर पता चला कि यह भारतीय दंड संहिता की धारा 417, 506 और 454 के तहत अपराध करने से संबंधित है। ऐसे मामले

में, जाहिर है, संहिता की धारा 249 के प्रावधान लागू थे और उपरोक्त निर्णय मामले को तय करने में सहायक नहीं है।

4. संहिता की धारा 256 जो समन मामलों पर लागू होती है, उसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः -

"1. यदि शिकायत पर समन जारी किया गया है और अभियुक्त की उपस्थिति के लिए नियत दिन, या उसके बाद के किसी भी दिन, जिस दिन सुनवाई स्थगित की जा सकती है, शिकायतकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो मजिस्ट्रेट इसमें पहले कुछ भी निहित होने के बावजूद, अभियुक्त को बरी कर देगा। जब तक कि किसी कारण से वह मामले की सुनवाई किसी और दिन के लिए स्थगित करना उचित न समझे;

बशर्ते कि जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किसी वकील या अभियोजन का संचालन करने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है या जहां मजिस्ट्रेट की राय है कि शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं है, मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति से छूट दे सकता है और मामले को आगे बढ़ा सकता है।

2. उप-धारा (1) के प्रावधान, जहां तक संभव हो, उन मामलों पर भी लागू होंगे जहां शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति उसकी मृत्यु के कारण है।"

संहिता की धारा 256(1) के तहत, जैसा कि ऊपर प्रस्तुत किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मजिस्ट्रेट को आरोपी को बरी करने की शक्ति दी गई है, जहां शिकायतकर्ता नियुक्त दिन पर आरोपी की उपस्थिति के लिए समन जारी किए जाने के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ था। उसके बाद किसी भी दिन, लेकिन यह शक्ति उसमें जोड़े गए परंतुक द्वारा नियंत्रित होती है।

इसमें उल्लिखित तीन श्रेणियों में मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट देने की शक्ति दी गई है जो इस प्रकार हैंः -

I. जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व एक वकील द्वारा किया जाता है; या
II. जहां शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व अभियोजन चलाने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है; या
III. जहां मैजिसारेट की राय है कि व्यक्तित्व! शिकायतकर्ता की उपस्थिति आवश्यक नहीं है.

मामले के तथ्यों पर संहिता की धारा 256 के प्रावधानों को लागू करने के लिए विवादित आदेश पारित करने से पहले मामले के संक्षिप्त इतिहास पर ध्यान देना आवश्यक है।

5. शिकायत के प्रारंभिक चरण में अदालत-शुल्क के भुगतान के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था, लेकिन बाद में आरोपियों को बुलाने का आदेश दिया गया। एक आरोपी की तामील कर उसे हाजिर कर दिया गया जबकि दूसरे आरोपी की पेशी के लिए मामला स्थगित कर दिया गया। 25 नवंबर, 1981 को दोनों आरोपी उपस्थित हुए और मामले को 8 दिसंबर, 1981 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस दिन आरोपियों के वकील नोटिस पर बहस करना चाहते थे और मामले को 22 दिसंबर, 1981 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस स्तर पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि यह नोटिस केवल आरोपी को शिकायत का सार बताने के लिए था। स्थगित तिथि यानी 22 दिसंबर, 1981 को दलीलें सुनी गईं और आदेश के लिए मामले को 4 जनवरी, 1982 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उस दिन शिकायतकर्ता के पिता के गंभीर रूप से बीमार होने के कारण उसके वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छूट दी गई थी, और मामले को स्थगित कर दिया गया था। स्थगित तिथि पर मामला लगभग दोपहर के समय उठाया गया और शिकायतकर्ता की उपस्थिति की प्रतीक्षा करने के लिए इसे बाद में उठाए जाने के लिए स्थगित कर दिया गया। करीब सवा तीन बजे का वक्त था. यह कि आक्षेपित आदेश तब पारित किया गया जब शिकायतकर्ता नहीं आया था और शिकायतकर्ता के वकील ने स्थगन का अनुरोध किया था जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। उपरोक्त तथ्यों के वर्णन से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तारीख को मामला तय किया गया था जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था, मजिस्ट्रेट को केवल उस प्रश्न पर आदेश की घोषणा करनी थी जिस पर 22 दिसंबर, 1981 को दलीलें सुनी गई थीं। यह जानने के लिए कि क्या वह आरोपों को स्वीकार करने जा रहा है या मुकदमे का दावा करने जा रहा है, जैसा कि संहिता की धारा 251 के तहत आवश्यक है, शिकायत का सार आरोपी के सामने रखना आवश्यक था, ऐसी कार्यवाही के लिए, जाहिर है, शिकायतकर्ता की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक नहीं थी और मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता की गैर-उपस्थिति के आधार पर आरोपी को बरी करने से पहले मामले के चरण पर ध्यान देना चाहिए था। इस संदर्भ में **स्टेट बनाम**

<u>गुरदयाल सिंह गिल और अन्य</u>[1], (1) में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है। यह पुरानी संहिता की धारा 247 की प्रयोज्यता से संबंधित मामला था, जो नई संहिता की धारा 256 के समतुल्य है। इसे पैरा 7 में निम्नानुसार देखा गया थाः -

"कानून के इस प्रावधान का उद्देश्य शिकायतकर्ता को अपने मामले के अभियोजन में देरी करने से रोकना है, लेकिन यह कहीं नहीं कहता है कि उन सभी मामलों में, जहां शिकायतकर्ता सुनवाई की तारीख पर अनुपस्थित पाया जाता है, मामले को खारिज कर दिया जाएगा। . दूसरी ओर, यह मजिस्ट्रेट को विवेकाधिकार देता है कि वह मामले की सुनवाई को किसी अन्य तारीख के लिए स्थगित कर दे, या मामले को आगे बढ़ाए, भले ही शिकायतकर्ता समन मामले की सुनवाई में उपस्थित न हो।"

उपरोक्त निर्णय के अनुपात का पालन केरल उच्च न्यायालय ने भागीरथी राममणि बनाम राधाम्मा, 1971, सीआरएल एल.जे. 115 में किया था। हमें इस मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाने के लिए राजी नहीं किया गया है।

6. ऊपर दर्ज कारणों से, इन अपीलों को अनुमति दी जाती है। विवादित आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और मामलों को कानून के अनुसार निर्णय के लिए ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जाता है। पक्षों को उनके वकील के माध्यम से 1 मई 1991 को ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। रिकॉर्ड तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजे जाएं।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

[1] A.I.R. 1961, Punjab 77

सिद्धांत रॉयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा